

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड
योजना राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग

शासन निर्णय क्र. राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-अ,

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२,

दिनांक : ०६ जुलै, २०१८

प्रस्तावना :-

राज्यामध्ये सन १९९० पासून रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळबाग लागवड योजना राबविल्यामुळे संपूर्ण योजना कालावधीत सुमारे १६ लाख हेक्टर क्षेत्र फळबाग लागवडीखाली आलेले आहे. सन २००५ सालापासून केंद्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरु केल्यानंतर राज्य शासनाने सदर योजनेतून फळबाग लागवडीसाठी अर्थसहाय्य देण्याचे निश्चित केले होते व राज्याच्या रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळबाग लागवड योजनेतर्गत अर्थसहाय्य देणे टप्प्या-टप्प्याने बंद केलेले आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत केवळ “जॉब कार्ड धारण करणारे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी आणि अनुसूचित जाती-जमातीचे शेतकरी” फळबाग लागवडीकरिता २ हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत अनुदानास पात्र आहेत. सबब, राज्यामध्ये ८० % अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी असूनही त्यांच्याकडे ‘जॉब कार्ड’ नसल्याने ते महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत फळबाग लागवडीकरिता अनुदान मिळण्यास अपात्र ठरत होते.

उपरोक्त पार्श्वभूमीवर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरू शकत नाहीत अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने नवीन राज्य पुरस्कृत फळबाग लागवड योजना मंजूर करण्याचा दि. २० जून, २०१८ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतलेला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पिक व पशुधन याबरोबरच फळबागेच्या रूपाने शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करून देणे शासनास शक्य होणार आहे तसेच, ही योजना शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यास व सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास देखील सहाय्यभूत ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे, फळबाग लागवडीमुळे नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करून काही प्रमाणात हवामान बदल आणि ऋतू बदलाची दाहकता व तीव्रता सौम्य करण्यास देखील मदत होणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेच्या अनुषंगाने, राज्य पुरस्कृत फळबाग लागवड योजनेची चालू वर्षाच्या खरीप हंगामापासून अंमलबजावणी करण्याचा तसेच, ही योजना माजी कृषि मंत्री कै. भाऊसाहेब (पांडूरंग) फुंडकर यांच्या नावाने राबविण्याचा शासनाचा मानस असून त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे-

शासन निर्णय:-

१. राज्यात सन २०१८-१९ च्या खरीप हंगामापासून “भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना” ही नवीन राज्य पुरस्कृत योजना राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे हे सदर योजनेचे राज्य स्तरावरील संनियंत्रक राहतील व क्षेत्रीय पातळीवर कृषि विभागाचे अधिकारी / कर्मचारी या योजनेची अंमलबजावणी करतील.
२. या योजनेंतर्गत बहुवार्षिक फळबागांच्या लागवडीसाठी अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहिल, त्यानुसार योजनेंतर्गत “राज्याच्या कृषि-हवामान क्षेत्रानुकूल असणाऱ्या फळांच्या व त्यांच्या प्रजातींच्या ‘कलमांच्या’ / नारळ रोपांच्या लागवडीसाठी अर्थसहाय्य करण्यात येईल”.
३. या योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीचा कालावधी प्रतिवर्ष माहे मे ते नोव्हेंबर पर्यंत राहिल. त्याकरिता आयुक्त (कृषि) यांनी दर वर्षी एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करून योजनेंतर्गत इच्छूक शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागवावेत. सदर योजनेंतर्गत इच्छूक शेतकऱ्यांचे अर्ज मागवून योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता कृषि विभागाच्या ई-गव्हर्नंस प्रकल्पांतर्गत आयुक्त (कृषि) यांनी ऑनलाईन प्रणाली विकसित करून घ्यावी.
४. सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पामध्ये सदर योजनेकरिता एकूण रु. १०० कोटी नियतव्यय राखीव ठेवण्यात आला असून चालू वर्षी फळ पिकांची लागवड खरीप हंगामात होणे गरजेचे आहे. सबब, आयुक्त (कृषि) यांनी तातडीने शेतकऱ्यांचे अर्ज मागवून पात्र लाभार्थ्यांची निवड करून योजनेची अंमलबजावणी सुरु करावी. याकरिता विभागाच्या हॉर्टनेट प्रणालीद्वारे ऑनलाईन अर्ज मागविणे शक्य असल्यास सदर प्रणालीचा उपयोग करून घ्यावा अन्यथा, ऑनलाईन प्रणाली विकसित होईपर्यंत चालू वर्षी इच्छूक शेतकऱ्यांकडून प्रत्यक्ष अर्ज मागवून लाभार्थ्यांची निवड करण्याची मुभा राहिल.
५. सदर योजनेंतर्गत वृक्ष आधारित पुढील बहुवार्षिक फळबागांच्या लागवडीसाठी ३ वर्ष कालावधीत प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्षी अनुक्रमे ५०%, ३०% व २०% अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहिल.

| पात्र फळांची कलमे | पात्र फळांची रोपे |
|--|--|
| १. आंबा २. डाळींब ३. काजू ४. पेरु ५. सिताफळ ६. आवळा ७. चिंच विकसित जाती ८. जांभूळ ९. कोकम १०. फणस ११. कागदी लिंबू १२. चिकू १३. संत्रा १४. मोसंबी १५. अंजिर | १. नारळ रोपे बाणावली २. नारळ रोपे टी / डी |

त्याचप्रमाणे, या योजनेंतर्गत अन्य नवीन फळ पिकांचा समावेश करावयाचा झाल्यास त्याबाबतचा यथायोग्य निर्णय तसेच, सदर पिकांचे आर्थिक मापदंड निश्चित करण्याची कार्यवाही नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने करावी. त्याकरिता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील प्रचलित मजुरीचे दर, टिबक सिंचन संचाचे प्रचलित मापदंड व योजनेंतर्गत सामुग्रीकरिता अनुज्ञेय असलेले प्रचलित दर, आणि कृषि विद्यापीठांनी राज्याच्या कृषि हवामान क्षेत्रांकरिता शिफारस केलेल्या फळ पिकांमधील अंतर विचारात घेऊन आर्थिक मापदंड निश्चित करावेत.

६. योजनेतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतुदीची उपलब्धता:

सदर योजना राबविण्यासाठी सन २०१८-१९ ते २०२०-२१ या तीन वर्षांच्या कालावधीत प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्षात अनुक्रमे रु. १०० कोटी, रु. १६० कोटी व रु. २०० कोटी व त्या पुढील प्रत्येक वर्षी किमान रु. २०० कोटी एवढा खर्च अपेक्षित आहे तसेच, राज्यातील फळ पिकाखालील क्षेत्रात वाढ करणे हेतू वरचेवर आवश्यक तेवढी तरतूद उपलब्ध करून देण्यात येईल. योजनेतर्गत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना अनुक्रमे सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीतील 'विशेष घटक योजनेतून' व आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीतील 'आदिवासी उप योजनेतर्गत' आवश्यक तरतूद उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्याकरिता सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडून निधी अर्थसंकल्पित करून उपलब्ध करून देण्यात येईल.

७. क्षेत्र मर्यादा :

- ७.१. सदर योजनेतर्गत फळबाग लागवडीकरिता कोकणात कमाल १० हेक्टर व उर्वरित महाराष्ट्रात कमाल ६ हेक्टर पर्यंत लाभ अनुज्ञेय राहिल. सदर कमाल क्षेत्र मर्यादेत लाभार्थी शेतकरी त्याच्या इच्छेनुसार एका पेक्षा जास्त फळ पिकांच्या लागवडीकरिता देखील पात्र राहिल.
- ७.२. लाभधारकाचे ७/१२ च्या नोंदणीनुसार जर तो संयुक्त खातेदार असेल तर त्यांच्या संयुक्त खात्यावरील त्याचे नावे असलेल्या क्षेत्राकरिता लाभ देण्यात यावा.
- ७.३. जे शेतकरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत लाभ घेण्यास पात्र असतील त्यांची महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत निवड करून त्यांना प्रथमतः सदर योजनेतर्गत अनुज्ञेय असणाऱ्या कमाल क्षेत्र मर्यादेपर्यंत (सद्यस्थितीत दर मर्यादा २ हेक्टर) फळबाग लागवडीकरिता अर्थसहाय्य उपलब्ध करून द्यावे व त्यानंतरच त्या शेतकऱ्यांचा या योजनेसाठी विहित केलेल्या कमाल मर्यादेपर्यंत विचार करावा.
- ७.४. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत लाभ घेण्यास पात्र असलेल्या शेतकऱ्याने २ हे. क्षेत्रापर्यंत लाभ घेतल्यानंतर अथवा, ही नवीन योजना लागू होण्यापूर्वीच एखाद्या शेतकऱ्याने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत लाभ घेतला असल्यास, सदर लाभ घेतलेले क्षेत्र वगळून, अशा कोकण विभागातील लाभार्थ्यांना अधिकच्या ८ हेक्टर व उर्वरित महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांना अधिकच्या ४ हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहिल.
- ७.५. योजनेतर्गत निवड झालेल्या शेतकऱ्याने यापूर्वी राज्य रोजगार हमी योजना वा क्षेत्र विस्ताराच्या अन्य योजनेतर्गत फळबाग लागवडीकरिता शासकीय अनुदानाचा लाभ घेतला असल्यास, सदर लाभ घेतलेले क्षेत्र वगळून उर्वरित क्षेत्रासाठी सदर शेतकरी पात्र राहतील (कोकण १० हे. व उर्वरित महाराष्ट्र ६ हे. या कमाल मर्यादेतून यापूर्वी लाभ घेतलेले क्षेत्र वगळावे).

८. लाभार्थ्यांच्या पात्रतेचे निकष :

- ८.१. या योजनेतर्गत वैयक्तिक शेतकऱ्यांनाच लाभ देण्यात यावा, संस्थात्मक लाभार्थ्यांना लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.

- ८.२. लाभार्थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत लाभ देण्यास पात्र नसावा.
- ८.३. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत लाभ देण्यास पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येऊ नये तथापि, त्यांची उपरोक्त परिच्छेद क्र. ७.३ व ७.४ मध्ये नमूद केल्यानुसार या योजनेंतर्गत लाभार्थी म्हणून निवड करता येईल.
- ८.४. शेतकऱ्याच्या स्वतःच्या नावे ७/१२ उतारा असणे आवश्यक आहे तथापि, जर लाभार्थी ७/१२ उतारावर संयुक्तपणे खातेदार असेल तर सर्व खातेदारांचे फळबाग लागवडीसाठी संमतीपत्र आवश्यक राहिल.
- ८.५. जमीन कुळ कायद्याखाली येत असल्यास, ७/१२ च्या उतारावर जर कुळाचे नाव असेल तर योजना राबविण्यासाठी कुळाचे संमतीपत्र आवश्यक राहिल.
- ८.६. परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, २००६ नुसार वनपट्टे धारक शेतकरी योजनेत लाभ घेण्यासाठी पात्र राहतील.
- ८.७. या योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी कोकणातील लाभार्थ्यांच्या मालकीची किमान १० गुंठे व उर्वरित महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांच्या मालकीची किमान २० गुंठे शेत जमीन असणे बंधनकारक राहिल.
- ८.८. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करताना ज्यांची उपजीविका पूर्णतः शेतीवर अवलंबून आहे अशा शेतकऱ्यांची प्राधान्याने निवड करावी तसेच, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला शेतकरी, दिव्यांग शेतकरी यांना प्राधान्य देण्यात यावे.

९. योजनेंतर्गत समाविष्ट बाबी :

- ९.१. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत पुढील बाबींचा समावेश राहिल तसेच, त्यापैकी शेतकऱ्यांनी स्व-खर्चाने करावयाची कामे व शासन अनुदानीत बाबी पुढीलप्रमाणे राहतील -

| बाब / कामे | आर्थिक भार |
|---|----------------------|
| अ. शेतकऱ्यांनी स्व-खर्चाने करावयाची कामे | |
| १) जमीन तयार करणे २) माती व शेणखत / सेंद्रिय खत मिश्रणाने खड्डे भरणे ३) रासायनिक खत वापरून खड्डे भरणे ४) आंतर मशागत करणे ५) काटेरी झाडांचे कुंपण (ऐच्छिक) | १००% लाभार्थी शेतकरी |
| ब. शासन अनुदानीत बाबी / कामे | |
| १) खड्डे खोदणे २) कलमे लागवड करणे (नारळाच्या बाबतीत रोपे) ३) पीक संरक्षण ४) नांग्या भरणे ५) ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे | १०० % राज्य शासन |

- ९.२. उपरोक्त तक्त्यातील अ मधील अ.क्र. १ ते ५ येथील बाबींची कामे लाभार्थी शेतकऱ्यांनी स्व-खर्चाने करावयाची असून यामधील अ.क्र. ५ येथील बाब शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक स्वरूपाची राहिल तसेच, सदर तक्त्यातील ब मधील अ.क्र. १ ते ५ येथील बाबींकरिता शासनातर्फे शेतकऱ्यांना १००% अनुदान देण्यात येईल.
- ९.३. लाभार्थ्यांना फळपिक निहाय व त्यांच्या लागवडीच्या अंतरानुसार शासनाचे ज्या बाबींना अनुदान देण्यात येणार आहे त्याचा तपशील या शासन निर्णयासोबत **परिशिष्ट - अ** येथे नमूद केलेला आहे.
- ९.४. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना टिबक सिंचन संचाच्या उभारणीकरिता १००% अनुदान द्यावयाचे आहे. त्याकरिता टिबक सिंचन संच उभारणीसाठी प्रचलित असलेल्या सर्व केंद्र व राज्य योजनांचा निधी त्यांच्या मापदंडानुसार उपयोगात आणावा. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना टिबक सिंचनाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनेतून (सद्यस्थितीत PMKSY - Per Drop More Crop) अनुज्ञेय असणारे अनुदान प्रथमतः अदा करावे व नंतर विविध प्रचलित राज्य पुरस्कृत टिबक सिंचनाच्या योजनेतून उर्वरित अनुदान देण्यात यावे (असे करताना सदर लाभार्थी संबंधित योजनेतून अनुदान देण्यास पात्र असल्याची खातरजमा करावी), आणि तदनंतर आवश्यक असल्यास भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेच्या निधीतून उर्वरित अनुदान अदा करावे.
- ९.५. उपरोक्त बाबींपैकी शासनाने अर्थसहाय्य करावयाच्या बाबींकरिता मापन पुस्तक ठेवण्यात यावे, सदर बाबींकरिता कृषि सहाय्यकाने लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी फळबाग लागवडीचे अंदाजपत्रक तयार करावे व त्याप्रमाणे प्रत्यक्षात होणाऱ्या कामाची वेळोवेळी मापन पुस्तिकेत नोंद घ्यावी.

१०. योजनेंतर्गत आर्थिक मापदंड :

- १०.१. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत ज्या बाबींना शासकिय अनुदान द्यावयाचे आहे त्याचे मापदंड महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या प्रचलित मापदंडानुसार लागू राहतील. त्यानुसार दरवर्षी सदर मापदंड अद्ययावत करण्यात येतील.
- १०.२. टिबक सिंचन संचाकरिता प्रचलित केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या मापदंडानुसार (सद्यस्थितीत PMKSY - Per Drop More Crop) १००% अनुदानाची परिगणना करण्यात यावी.
- १०.३. त्याचप्रमाणे, राज्यस्तरीय समितीने निश्चित केलेले कलमांचे / रोपांचे दर लागू होतील. वर्षनिहाय अनुदान वाटप एकूण अनुदानाच्या ५०:३०:२० या प्रमाणात देय राहिल.
- १०.४. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत निश्चित केलेल्या मजूरीच्या दरांमध्ये, प्रधान मंत्री कृषि सिंचन योजनेच्या (अथवा प्रचलित केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन संच उभारणी योजना) मापदंडामध्ये तसेच, कृषि आयुक्तालयाने निश्चित केलेल्या सामुग्रींच्या दरामध्ये सुधारणा झाल्यास, या योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या शासन अनुदानात बाबींचे दर त्याप्रमाणे वेळोवेळी सुधारीत करण्याचे अधिकार कृषि विभागास राहतील. त्याबाबत आयुक्त (कृषि) यांनी अशा बाबींचे

दर सुधारित करण्याचा प्रस्ताव आवश्यकतेनुसार शासनास सादर करावा व शासनाच्या मान्यतेप्रमाणे योजनेची अंमलबजावणी करावी.

१०.५. या योजनेंतर्गत अन्य नवीन फळ पिकांचा समावेश करावयाचा झाल्यास, त्याबाबतचा यथायोग्य निर्णय तसेच, सदर पिकांचे आर्थिक मापदंड निश्चित करण्याची कार्यवाही नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने करण्यात येईल.

११. योजनांतर्गत अर्थसहाय्य:

११.१. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यास एकूण ३ वर्षांच्या कालावधीत ५०:३०:२० प्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहिल.

११.२. लाभार्थ्याने लावलेली फळ झाडे पहिल्या वर्षी किमान ८०% व दुसऱ्या वर्षी किमान ९०% जगविणे आवश्यक राहिल. त्यानुसार फळझाडे जगविण्याचे प्रमाण न राखल्यास, लाभार्थी दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षीच्या अनुदानास पात्र असणार नाही.

११.३. या योजनेंतर्गत आयुक्त (कृषि) यांनी प्रत्येक पिक निहाय व वर्ष निहाय शासन अनुदानीत बाबींवर येणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण विहित करावे व प्रतिवर्ष देय असलेले अनुदान लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर वर्ग करावे तथापि, लाभार्थ्याने कलमे / नारळ रोपे शासकीय रोपवाटिकेतून अथवा राज्यातील कृषि विद्यापीठांच्या रोपवाटिकेतून घ्यावायचे निश्चित केल्यास त्यांना विभागातर्फे परवाना देण्यात यावा व कलमे / रोपांच्या खरेदी करून लागवड केल्यानंतर सदर बाबीचे अनुदान थेट संबंधित संस्थाना अदा करावे.

११.४. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत फळपिक निहाय तसेच, पिकांमधील अंतरानुसार खर्च व अनुदान मर्यादा निश्चित करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्ष खर्च जर मापदंडानुसार निश्चित केलेल्या खर्चापेक्षा कमी आला असेल तर लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष खर्चाएवढेच अनुदान अनुज्ञेय राहिल.

१२. आर्थिक लक्षांकाचे जिल्हानिहाय / तालुका निहाय वाटप:

१२.१. या योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना स्थानिक कृषि-हवामान परिस्थितीनुसार येणाऱ्या फळ पिकांच्या व त्यांच्या प्रजातींच्या लागवडीचे पूर्ण स्वातंत्र्य द्यावयाचे आहे, त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत जिल्ह्यांना फळ पिक निहाय लागवडीच्या क्षेत्राचे लक्षांक वाटप करण्यात येऊ नये. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना एकापेक्षा जास्त फळ पिकांची लागवड करण्यास मुभा राहिल.

१२.२. राज्यास प्राप्त होणाऱ्या एकूण आर्थिक लक्षांकाचे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना समन्यायी प्रमाणात वाटप करावायचे असून सदर आर्थिक लक्षांकाच्या मर्यादेत शेतकऱ्यांना फळ पिकांची निवड करण्याची मुभा राहिल. त्याकरिता, पुढील दोन निकष विहित करण्यात येत आहेत:

अ. जिल्ह्याचे वहितीखालील क्षेत्र:

या निकषानुसार राज्यास प्रति वर्षी प्राप्त होणाऱ्या एकूण आर्थिक लक्षांपैकी ५०% अनुदानाचे वाटप करण्यात यावे. त्याकरिता, राज्याच्या एकूण वहितीखालील क्षेत्रापैकी जिल्ह्याचे जेवढे क्षेत्र वहितीखाली असेल तेवढ्या प्रमाणात आर्थिक लक्षांक विहित करावा. याच निकषानुसार जिल्ह्यास प्राप्त होणारा आर्थिक लक्षांक तालुक्यांतर्गत वितरीत करावा.

आ. कृषि गणनेनुसार शेतकऱ्यांची संख्या:

या निकषानुसार राज्यास प्रति वर्षी प्राप्त होणाऱ्या एकूण आर्थिक लक्षांपैकी उर्वरित ५०% अनुदानाचे वाटप करण्यात यावे. त्याकरिता, सदर निकषानुसार राज्यातील एकूण शेतकऱ्यांच्या संख्येपैकी जिल्ह्यात जेवढे शेतकरी असतील (अद्ययावत कृषि गणनेनुसार) तेवढ्या प्रमाणात आर्थिक लक्षांक विहित करावा. याच निकषानुसार जिल्ह्यास प्राप्त होणारा आर्थिक लक्षांक तालुक्यांतर्गत वितरीत करावा.

अशाप्रकारे, उपरोक्त अ व आ येथील निकषानुसार येणाऱ्या लक्षांकाची बेरीज घेऊन सर्व जिल्ह्यांना / जिल्ह्यांतर्गत तालुक्यांना आर्थिक लक्षांकाचे वाटप करण्यात यावे.

- १२.३. परिच्छेद क्र.१२.२ नुसार, जिल्हानिहाय लक्षांकाचे वाटप झाल्यानंतर, अद्ययावत कृषि गणनेनुसार, सदर जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गांच्या शेतकऱ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात प्रवर्ग निहाय जिल्ह्याचा / तालुक्याचा एकूण आर्थिक लक्षांक निश्चित करावा.
- १२.४. योजनेंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यास प्राप्त होणाऱ्या लक्षांकापैकी प्रत्येक प्रवर्गाच्या लक्षांकापैकी ३०% लक्षांक महिला शेतकऱ्यांसाठी ठेवावा.
- १२.५. तालुक्यास नेमून दिलेल्या आर्थिक लक्षांका इतके अर्ज प्राप्त न झाल्यास त्या तालुक्यासाठी पुनश्च: जाहिरात देण्यात यावी व इच्छुक लाभार्थ्यांची निवड करण्यात यावी. अशाप्रकारे, तालुक्यामध्ये दुसऱ्यांदा संधी देवूनही लक्षांकाएवढे अर्ज प्राप्त न झाल्यास, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी सदर तालुक्याच्या शिल्लक निधीचे फेर वाटप जिल्ह्यामधील अन्य तालुक्यांना त्यांच्या मागणीच्या प्रमाणात करावे. सदरची कार्यवाही अर्ज सादर करावयाच्या मुदतीनंतर १५ दिवसांत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी पूर्ण करावी.
- १२.६. त्याचप्रमाणे जिल्ह्याचा निधी शिल्लक राहत असल्यास विभागीय कृषि सह संचालकांनी प्रथमतः विभागातील अन्य जिल्ह्यास शिल्लक निधीचे फेर वाटप जिल्ह्यांच्या मागणीच्या प्रमाणात करावे.
- १२.७. फेरवाटपानंतरही विभागातील काही जिल्ह्यांचा निधी शिल्लक रहात असल्यास त्याचे कृषि आयुक्तालय स्तरावरून मागणी असलेल्या अन्य जिल्ह्यांना वितरण करण्यात यावे.

१३. लाभार्थी निवडीची कार्यपद्धती :-

- १३.१. राज्य / जिल्हा स्तरावरून वर्तमानपत्रामध्ये प्रति वर्ष माहे एप्रिल मध्ये जाहिरात प्रसिध्द करून तसेच, अन्य माध्यमांद्वारे पुरेशी प्रसिद्धी देऊन इच्छुक शेतकऱ्यांचे अर्ज मागविण्यात यावेत.

- १३.२. सदर योजनेबाबत गावपातळीवर ग्राम सभाद्वारे प्रचार व प्रसार करण्यासाठी क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना सूचना द्याव्यात, जेणेकरून योजनेची माहिती सर्व शेतकऱ्यापर्यंत पोहचण्यास मदत होईल.
- १३.३. जिल्ह्यात / तालुक्यात कृषि-हवामान क्षेत्रानुकूल असणाऱ्या फळ पिकांपैकी योजनेतर्गत मंजूर असलेल्या कोणत्याही पिकाची योजनेतर्गत अनुज्ञेय किमान व कमाल क्षेत्र मर्यादेपर्यंत लागवड करण्याची शेतकऱ्यांना मुभा राहिल.
- १३.४. इच्छुक शेतकऱ्यांना जाहिरात दिल्यापासून किमान २१ दिवस अर्ज करण्याकरिता कालावधी द्यावा. त्याकरिता आयुक्त (कृषि) यांनी अर्जाचा नमूना विहित करावा.
- १३.५. तदनंतर योजनेतर्गत तालुक्यास दिलेल्या आर्थिक लक्षांकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास सदर अर्जाची तालुका निहाय सोडत काढून लाभार्थ्यांची निवड करण्यात यावी.
- १३.६. लाभार्थी निवडीसाठी सोडतीचे ठिकाण, दिनांक व वेळ तसेच अर्ज स्विकृतीपासून ते सोडतीपर्यंतचे संपूर्ण नियोजन उप विभागीय कृषि अधिकारी व तालुका कृषि अधिकारी यांनी संयुक्तपणे करावयाचे आहे. सदर सोडत प्रक्रिया संबंधित तालुक्याच्या मुख्यालयी अर्जदारांच्या उपस्थितीत करण्यात यावी.
- १३.७. तालुक्यास नेमून दिलेल्या आर्थिक लक्षांका इतके अर्ज प्राप्त न झाल्यास त्या तालुक्यासाठी पुनः जाहिरात देवून आठ दिवसात अर्ज मागवावेत आणि प्राप्त होणाऱ्या अर्जातून लाभार्थी निवडीसाठी उपरोक्त विहित कार्यपध्दती नुसार कार्यवाही करावी. सदरील जाहिरात जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी द्यावी.

१४. पूर्वसंमती प्रदान करणे:

- १४.१. सोडतीनंतर निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना २ दिवसांत पूर्वसंमती प्रदान करण्यात यावी तसेच, लाभार्थ्यांची शासकीय अथवा कृषि विद्यापीठांच्या रोपवाटिकेतून कलमे / नारळ रोपांची उचल करण्याची इच्छा असल्यास (मागणी अर्जात या बाबीचा स्पष्ट उल्लेख असावा) त्यांना त्याप्रमाणे पूर्वसंमती सोबत परवाना देण्यात यावा.
- १४.२. लाभार्थ्यांने पूर्वसंमती मिळाल्याच्या दिनांकापासून ७५ दिवसांमध्ये सर्व बाबींसह फळबागेची लागवड करणे आवश्यक राहिल.
- १४.३. जे लाभार्थी पूर्वसंमती नंतर ७५ दिवसांत सर्व बाबींसह फळबागेची लागवड करणार नाहीत त्यांची पूर्वसंमती रद्द करण्यात यावी व प्रतीक्षा यादीतील पुढील क्रमानुसार पात्र लाभार्थ्यांस परिच्छेद क्र. १४.१ नुसार मंजूरी प्रदान करावी.

१५. तांत्रिक व प्रशासकिय मंजूरी :

- १५.१. लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती प्रदान केल्यानंतर संबंधित कृषि सहाय्यकांनी लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावीत लागवड क्षेत्रास भेट देऊन तांत्रिक अंदाजपत्रक तयार करणे, त्याची छाननी करणे व ते पूर्वसंमती

- दिल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांत सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे शिफारशीसह तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित मंडळ कृषि अधिकार्यांची राहिल.
- १५.२. लाभार्थ्यांच्या १ हेक्टर क्षेत्रावरील फळबाग लागवडीच्या प्रस्तावास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यास तालुका कृषि अधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी राहतील, त्यांनी सादर मान्यता एक आठवड्याच्या आत प्रदान करावी.
- १५.३. लाभार्थ्यांच्या १ हेक्टर पेक्षा अधिकच्या क्षेत्रावरील फळबाग लागवडीचे प्रस्ताव तालुका कृषि अधिकार्यांमार्फत उप विभागीय कृषि अधिकार्यांना सादर करावेत, सादर प्रस्तावांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यास उप विभागीय कृषि अधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी राहतील, त्यांनी प्रस्ताव प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून एक आठवड्याच्या आत मान्यता प्रदान करावी.
- १५.४. तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी मिळाल्यानंतर लाभार्थ्यांने फळबाग लागवडीची कार्यवाही विहित मुदतीत पूर्ण करावी.
- १५.५. प्रत्येक लाभार्थ्यांच्या जमिनीवरील फळबाग लागवड हा स्वतंत्र प्रकल्प समजण्यात येईल. अशा प्रत्येक प्रकल्पासाठी प्रशासकिय व तांत्रिक मान्यता स्वतंत्रपणे देण्यात येईल. त्यामुळे लागवड करावयाच्या फळझाड व क्षेत्रानुसार शासनाने मंजूर केलेल्या मापदंडाप्रमाणे स्वतंत्रपणे अंदाजपत्रके तयार करणे आवश्यक राहिल.
- १५.६. लागवडीची अंदाजपत्रके तयार करून त्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक व प्रशासकिय मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतरच लाभार्थ्यांने फळबागेची लागवड करावी.

१६. फळबाग लागवड व अनुदान वितरण :

- १६.१. लाभार्थ्यांने फळबागेची लागवड केल्यानंतर त्याबाबतच्या नोंदी वेळोवेळी मापन पुस्तकामध्ये घेण्यात याव्यात. त्याचप्रमाणे, लागवड केलेले क्षेत्र जिओ-टॅगींग करण्यात यावे, त्याकरिता आयुक्त (कृषि) यांनी संगणक प्रणालीवर तशी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
- १६.२. फळबाग लागवडीची लाभार्थ्यांच्या ७/१२ उतान्यावर नोंद घेतल्याशिवाय अनुदान अदा करू नये.
- १६.३. पहिल्या वर्षी लाभार्थ्यांने केलेल्या कामाच्या प्रमाणका नुसार मापन पुस्तिकेत नोंद घेऊन त्यास तालुका कृषि अधिकार्यांनी प्रमाणित केल्यानंतर मापदंडा नुसार देय असलेले अनुदान लाभार्थ्यांना अदा करण्याची कार्यवाही करावी.
- १६.४. लाभार्थ्यांने कलमे / नारळ रोपे शासकीय रोपवाटिकेतून अथवा राज्यातील कृषि विद्यापीठांच्या रोपवाटिकेतून घेतली असल्यास सादर बाबीचे अनुदान इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने थेट संबंधित संस्थेस अदा करावे आणि अन्य बाबीचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर वर्ग करावे.
- १६.५. लाभार्थ्यांने कलमे / नारळ रोपांची खरेदी राष्ट्रीय बागवानी मंडळामार्फत मानांकित खाजगी रोपवाटिकेतून केल्यास शासकीय अनुदानाची रक्कम व देयकाची रक्कम यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान लाभार्थ्यांस देण्यात यावे.

१६.६. दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी बागायती फळपिकांचे बाबतीत जे लाभार्थी किमान ९० टक्के आणि कोरडवाहू फळपिकांच्या बाबतीत ८० टक्के झाडे जिवंत ठेवतील त्या लाभार्थ्यांना दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षाचे अनुदान देय राहिल. जिवंत झाडांची विहित प्रमाणातील टक्केवारी राखण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे लाभार्थ्यांची असेल.

१७. संनियंत्रण, मूल्यमापन व लेखापरीक्षण:

१७.१. आयुक्त (कृषि) यांनी सदर योजनेचे राज्य स्तरावरून संनियंत्रण करावे तसेच, क्षेत्रीय पातळीवर योजनेची अंमलबजावणी करताना विविध स्तरावरील अधिकाऱ्यांमार्फत संनियंत्रण (Concurrent Evaluation) करावे तसेच, त्यांना झालेल्या कामाच्या तपासणीचे प्रमाण विहित करावे.

१७.२. कृषि आयुक्तालयातील संनियंत्रण व मूल्यमापन कक्षामार्फत सदर योजनेचे वर्ष निहाय मूल्यमापन करण्यात यावे व त्याचा अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करावा.

१७.३. सदर योजनेंतर्गत झालेल्या कामाचे दस्तऐवज वार्षिक लेखा परीक्षणासाठी जतन करून ठेवावेत व ते लेखा परीक्षणास उपलब्ध करावेत.

१८. कलमे / नारळ रोपे व इतर लागवड साहित्य यांच्या नियोजनासाठी राज्य स्तरीय समिती :-

१८.१. या योजनेंतर्गत कलमे / नारळ रोपे यांचे विहित कालमर्यादेत लाभार्थ्यांना पुरवठा करणे, त्यांचा दर निश्चित करणे, कार्यक्रमासाठी आवश्यक कलमे / नारळ रोपे उपलब्धतेसाठी निर्णय घेणे व त्यानुषंगाने कृषि विद्यापीठांच्या व शासकीय रोपवाटिकांद्वारे उत्पादन कार्यक्रम आखणे यासाठी शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र.रोहयो-१०९४/प्र.क्र ६७/फ-२ दिनांक १३ मे, १९९४ अन्वये स्थापित करण्यात आलेली समिती खालीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहेत:

| अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे पदनाम | पद |
|--------|--|------------|
| १. | आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे | अध्यक्ष |
| २. | संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, पुणे | सदस्य |
| ३. | संचालक (निविष्टा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, पुणे | सदस्य |
| ४. | उप सचिव (फलोत्पादन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई | सदस्य |
| ५. | विभाग प्रमुख (फलोत्पादन), महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी | सदस्य |
| ६. | विभाग प्रमुख (फलोत्पादन), डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली | सदस्य |
| ७. | विभाग प्रमुख (फलोत्पादन), वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी | सदस्य |
| ८. | विभाग प्रमुख (फलोत्पादन) डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला | सदस्य |
| ९. | सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे | सदस्य |
| १०. | सहसंचालक, फलोत्पादन, कृषि आयुक्तालय, पुणे | सदस्य सचिव |

१८.२. समितीची कार्यकक्षा :

या योजनेंतर्गत सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहिल -

- i. राज्यातील कलमे / नारळ रोपांची उपलब्धता लक्षात घेऊन आवश्यक त्या फळ पिकांची कलमे / नारळ रोपे उत्पादनाचे नियोजन करणे, त्यादृष्टीने समितीच्या वर्षातून किमान ४ वेळा बैठका घेऊन निर्णय घेणे. मातृ वृक्ष आधारित कलमांचे उत्पादन करण्याकरिता कृषि विद्यापीठ व शासकीय रोपवाटिकांना आगाऊ उत्पादन आराखडा प्रतिवर्षी देणे.
- ii. योजनेंतर्गत गुणवत्तापूर्ण मातृ वृक्षापासून निर्मित कलमांचा पुरवठा होण्याच्या दृष्टीने गुण नियंत्रण, रोपवाटिकांची नियमित तपासणी इ. बाबींची व्यवस्था निर्माण करणे
- iii. या योजनेंतर्गत कलमे व नारळ रोपांचे आवश्यकतेनुसार दर निश्चित करणे.

१९. गुणवत्तापूर्ण कलमांचा / नारळ रोपांचा पुरवठा :

१९.१. लाभार्थ्यांने फळबाग लागवडीकरिता कलम / नारळ रोपांची निवड व खरेदी स्वतः करावयाची असून त्यांनी कलमे / नारळ रोपे खरेदी करताना खालीलप्रमाणे रोपवाटिकांना प्राधान्य द्यावे -

- i. कृषि विभागाच्या रोपवाटिका
- ii. कृषि विद्यापीठांच्या रोपवाटिका
- iii. राष्ट्रीय बागवानी मंडळामार्फत मानांकित खाजगी रोपवाटिका

१९.२. लाभार्थ्यांने राष्ट्रीय बागवानी मंडळामार्फत मानांकित खाजगी रोपवाटिकेतून कलमे / नारळ रोपांची खरेदी केल्यास त्यांच्या दर्जाबाबतची जबाबदारी लाभार्थ्यांची राहिल. अशा प्रकरणी, लाभार्थी शेतकऱ्यांने खरेदी केलेल्या कलमांचे / नारळ रोपांचे पैसे लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येतील.

१९.३. राज्यातील शासकीय / कृषि विद्यापीठांच्या आणि खाजगी रोपवाटिकेतून शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण मातृ वृक्षापासून तयार केलेल्या कलमांची / नारळ रोपांची उपलब्धता व्हावी म्हणून आयुक्त (कृषि) यांनी सदर रोपवाटिकांच्या गुण नियंत्रण विषयक खबरदारी घ्यावी तसेच, रोपवाटिकांची क्षेत्रीय यंत्रणेमार्फत नियमित तपासणी करावी व गुण नियंत्रण करावे.

२०. प्रशासकिय खर्च:

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या एकूण निधीच्या २ टक्के निधी अत्यावश्यक हँडबिल / फॉर्म, मापन पुस्तिका इत्यादी छपाई, फळझाड लागवडी विषयी प्रसिध्दी पुस्तके, स्थानिक वर्तमानपत्रात प्रसिध्दी, प्रचार व प्रसिध्दी, मूल्यमापन, स्टेशनरी इ. साठी खर्च करता येईल. प्रशासकिय बाबींवर करण्यात येणारा खर्च हा संबंधित अधिकाऱ्यांना असणाऱ्या वित्तीय अधिकारानुसार करावा.

२१. उपरोक्त प्रमाणे योजनेंतर्गत विहित केलेल्या कार्यपद्धतीस अनुसरून संचालक (फलोत्पादन) यांनी क्षेत्रीय यंत्रणेस सदर योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता सविस्तर सूचना निर्गमित कराव्यात.

२२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या मान्यतेने व वित्त विभागाने अनौ.सं.क्र. १२६/२०१८/व्यय-१, दिनांक ०५/०७/२०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०७०६१२०७३७१७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(श्रीकांत आंडगे)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत:

१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई -३२
२. मा. मंत्री (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई -३२
३. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद, महाराष्ट्र राज्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई
४. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा, महाराष्ट्र राज्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई
५. मा.राज्य मंत्री (कृषि) , महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई -३२
६. सर्व विधान परिषद / विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य विधान मंडळ, मुंबई
७. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई,
८. अपर मुख्य सचिव, (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२
९. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १०.अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ११.आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य,पुणे.
१२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे
१३. कुलगुरु (सर्व कृषि विद्यापीठ)
१४. सर्व सह सचिव / उप सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१५. सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
१६. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक
१७. विभाग प्रमुख (फलोत्पादन), सर्व कृषि विद्यापीठ
१८. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी
१९. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) मुंबई /नागपूर,
२०. सहसंचालक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई -३२
२१. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी
२२. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई
२३. माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२.

परिशिष्ट-अ

(शासन निर्णय क्र. राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-अ, दि. ०६ जुलै, २०१८ चे परिशिष्ट)

गोषवारा

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९

(मजुरी, सामुग्री व एकूण 'रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन 'संख्येमध्ये')

| अ क्र | फळ पिक कलमे / नारळ रोपे | अंतर (मी.) | हेक्टरी झाडे | वर्ष पहीले | | | | वर्ष दुसरे | | | | वर्ष तिसरे | | | | एकूण | | | |
|-------|-----------------------------|------------|--------------|------------|----------|--------|------------|------------|----------|-------|------------|------------|----------|------|------------|-------|----------|--------|------------|
| | | | | मजुरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजुरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजुरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजुरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन |
| १ | आंबा | १०x१० | १०० | १६०३७ | २९१७२ | ४५२०९ | ७९ | ३८५७ | १३२५ | ५१८२ | १९ | ३०४५ | १२५ | ३१७० | १५ | २२९३९ | ३०६२२ | ५३५६१ | ११३ |
| २ | आंबा | ५ x ५ | ४०० | ३००४४ | ५८९१४ | ८८९५८ | १४८ | ४६६९ | ५०५० | ९७१९ | २३ | ३०४५ | २५० | ३२९५ | १५ | ३७७५८ | ६४२१४ | १०१९७२ | १८६ |
| ३ | काजू | ७ x ७ | २०० | १०३५३ | ३८०७३ | ४८४२६ | ५१ | २८४२ | २१४० | ४९८२ | १४ | २०३० | १४० | २१७० | १० | १५२२५ | ४०३५३ | ५५५७८ | ७५ |
| ४ | पेरू | ३ x २ | १६६६ | ३८५७० | १४०९८६ | १७९५५६ | १९० | ३६५४ | १६७५० | २०४०४ | १८ | २०३० | १०० | २१३० | १० | ४४२५४ | १५७८३६ | २०२०९० | २१८ |
| ५ | पेरू | ६ x ६ | २७७ | ११९७७ | ४४४८४ | ५६४६१ | ५९ | १८२७ | २८५० | ४६७७ | ९ | १०१५ | १०० | १११५ | ५ | १४८१९ | ४७४३४ | ६२२५३ | ७३ |
| ६ | डाळींब | ४.५ x ३ | ७४० | २८०१४ | ६४९९९ | ९३०१३ | १३८ | ५६८४ | ५९५५ | ११६३९ | २८ | ४०६० | ७७५ | ४८३५ | २० | ३७७५८ | ७१७२९ | १०९४८७ | १८६ |
| ७ | संत्रा, मोसंबी, कागदी लिंबू | ६ x ६ | २७७ | १२९९२ | ४१९१४ | ५४९०६ | ६४ | २८४२ | २५०० | ५३४२ | १४ | २०३० | ३०० | २३३० | १० | १७८६४ | ४४७१४ | ६२५७८ | ८८ |

| अ क्र | फळ पिक कलमे / नारळ रोपे | अंतर (मी.) | हेक्टरी झाडे | वर्ष पहीले | | | | वर्ष दुसरे | | | | वर्ष तिसरे | | | | एकूण | | | |
|-------|-------------------------|------------|--------------|------------|----------|-------|------------|------------|----------|-------|------------|------------|----------|------|------------|-------|----------|-------|------------|
| | | | | मजुरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजुरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजुरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजुरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन |
| ८ | संत्रा | ६ x ३ | ५५५ | १९४८८ | ६४३३४ | ८३८२२ | ९६ | ५६८४ | ५८५० | ११५३४ | २८ | ४०६० | ३०० | ४३६० | २० | २९२३२ | ७०४८४ | ९९७१६ | १४४ |
| ९ | नारळ रोपे बाणावली | ८ x ८ | १५० | १८४७३ | ३५९५७ | ५४४३० | ९१ | १८२७ | २२२५ | ४०५२ | ९ | १०१५ | १२५ | ११४० | ५ | २१३१५ | ३८३०७ | ५९६२२ | १०५ |
| १० | नारळ रोपे टी/ डी | ८ x ८ | १५० | १८४७३ | ४०४५७ | ५८९३० | ९१ | १८२७ | ३१२५ | ४९५२ | ९ | १०१५ | १२५ | ११४० | ५ | २१३१५ | ४३७०७ | ६५०२२ | १०५ |
| ११ | सिताफळ | ५ x ५ | ४०० | १५२२५ | ५०८६४ | ६६०८९ | ७५ | १८२७ | ३४०० | ५२२७ | ९ | १०१५ | २०० | १२१५ | ५ | १८०६७ | ५४४६४ | ७२५३१ | ८९ |
| १२ | आवळा | ७ x ७ | २०० | ९७४४ | ३६००८ | ४५७५२ | ४८ | १४२१ | १६७५ | ३०९६ | ७ | ८१२ | ७५ | ८८७ | ४ | ११९७७ | ३७७५८ | ४९७३५ | ५९ |
| १३ | चिंच | १०x१० | १०० | १४४१३ | २९१२२ | ४३५३५ | ७१ | १६२४ | १२७५ | २८९९ | ८ | ८१२ | ७५ | ८८७ | ४ | १६८४९ | ३०४७२ | ४७३२१ | ८३ |
| १४ | जांभूळ | १०x१० | १०० | १४४१३ | २९१२२ | ४३५३५ | ७१ | १६२४ | १२७५ | २८९९ | ८ | ८१२ | ७५ | ८८७ | ४ | १६८४९ | ३०४७२ | ४७३२१ | ८३ |
| १५ | कोकम | ७ x ७ | २०० | ९७४४ | ३३९८३ | ४३७२७ | ४८ | १४२१ | १२५० | २६७१ | ७ | ८१२ | ५० | ८६२ | ४ | ११९७७ | ३५२८३ | ४७२६० | ५९ |
| १६ | फणस | १०x१० | १०० | १४००७ | २६०४७ | ४००५४ | ६९ | १८२७ | ६५० | २४७७ | ९ | १०१५ | ५० | १०६५ | ५ | १६८४९ | २६७४७ | ४३५९६ | ८३ |
| १७ | अंजिर | ४.५ x ३ | ७४० | २२३३० | ६४८२४ | ८७१५४ | ११० | २८४२ | ५२८० | ८१२२ | १४ | २०३० | १०० | २१३० | १० | २७२०२ | ७०२०४ | ९७४०६ | १३४ |
| १८ | चिकू | १०x१० | १०० | १५०२२ | ३०२८७ | ४५३०९ | ७४ | २८४२ | १६४० | ४४८२ | १४ | २०३० | २४० | २२७० | १० | १९८९४ | ३२१६७ | ५२०६१ | ९८ |

तक्ता - १ : आंबा कलमे

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९

कलमे संख्या प्रति हेक्टरी १०० (अंतर १० X १० मी)

(मजूरी, सामुग्री व एकूण 'रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन 'संख्येमध्ये')

| अ क्र | बाब | वर्ष पहिले | | | | वर्ष दुसरे | | | | वर्ष तिसरे | | | | एकूण | | | |
|-------|--|------------|----------|-------|------------|------------|----------|------|------------|------------|----------|------|------------|-------|----------|-------|------------|
| | | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन |
| १ | खड्डे खोदणे, १ x १ x १ मी. आकार एकूण खड्डे १०० | ९९४७ | ० | ९९४७ | ४९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ९९४७ | ० | ९९४७ | ४९ |
| २ | कलमे लागवड करणे, किंमत रु. ६०/कलम संख्या-१०० | ४०६० | ६००० | १००६० | २० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४०६० | ६००० | १००६० | २० |
| ३ | नांग्या भरणे | ० | ० | ० | ० | ८१२ | १२०० | २०१२ | ४ | ० | ० | ० | ० | ८१२ | १२०० | २०१२ | ४ |
| ४ | ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे | ० | २३०४७ | २३०४७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २३०४७ | २३०४७ | ० |
| ५ | पीक संरक्षण | २०३० | १२५ | २१५५ | १० | ३०४५ | १२५ | ३१७० | १५ | ३०४५ | १२५ | ३१७० | १५ | ८१२० | ३७५ | ८४९५ | ४० |
| एकूण | | १६०३७ | २९१७२ | ४५२०९ | ७९ | ३८५७ | १३२५ | ५१८२ | १९ | ३०४५ | १२५ | ३१७० | १५ | २२९३९ | ३०६२२ | ५३५६१ | ११३ |

तक्ता - २ : आंबा कलमे (सघन लागवड)

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९

कलमे संख्या प्रति हेक्टरी ४०० (अंतर ५ X ५ मी.)

(मजूरी, सामुग्री व एकूण 'रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन 'संख्येमध्ये')

| अ क्र | बाब | वर्ष पहिले | | | | वर्ष दुसरे | | | | वर्ष तिसरे | | | | एकूण | | | |
|-------|--|------------|----------|-------|------------|------------|----------|------|------------|------------|----------|------|------------|-------|----------|--------|------------|
| | | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन |
| १ | खड्डे खोदणे, ०.६x०.६x०.६ मी. आकार एकूण खड्डे ४०० | १९८९४ | ० | १९८९४ | ९८ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १९८९४ | ० | १९८९४ | ९८ |
| २ | कलमे लागवड करणे, किंमत रु. ६० / प्रति कलम, संख्या-४०० | ८१२० | २४००० | ३२१२० | ४० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ८१२० | २४००० | ३२१२० | ४० |
| ३ | नांग्या भरणे | ० | ० | ० | ० | १६२४ | ४८०० | ६४२४ | ८ | ० | ० | ० | ० | १६२४ | ४८०० | ६४२४ | ८ |
| ४ | ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे | ० | ३४६६४ | ३४६६४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३४६६४ | ३४६६४ | ३४६६४ | ० |
| ५ | पीक संरक्षण | २०३० | २५० | २२८० | १० | ३०४५ | २५० | ३२९५ | १५ | ३०४५ | २५० | ३२९५ | १५ | ८१२० | ७५० | ८८७० | ४० |
| | एकूण | ३००४४ | ५८९१४ | ८८९५८ | १४८ | ४६६९ | ५०५० | ९७१९ | २३ | ३०४५ | २५० | ३२९५ | १५ | ३७७५८ | ६४२१४ | १०१९७२ | १८६ |

तक्ता - ३ : काजू कलमे

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९

कलमे संख्या प्रति हेक्टरी २०० (अंतर ७ X ७ मी.)

(मजूरी, सामुग्री व एकूण 'रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन 'संख्येमध्ये')

| अ क्र | बाब | वर्ष पहिले | | | | वर्ष दुसरे | | | | वर्ष तिसरे | | | | एकूण | | | |
|-------|--|------------|----------|-------|------------|------------|----------|------|------------|------------|----------|------|------------|-------|----------|-------|------------|
| | | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन |
| १ | खड्डे खोदणे, ०.६x०.६x०.६मी. आकार एकूण खड्डे २०० | ६०९० | ० | ६०९० | ३० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ६०९० | ० | ६०९० | ३० |
| २ | कलमे लागवड करणे, किंमत रु. ५०/- प्रति कलम, संख्या- २०० | ३०४५ | १०००० | १३०४५ | १५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३०४५ | १०००० | १३०४५ | १५ |
| ३ | नांग्या भरणे | ० | ० | ० | ० | ८१२ | २००० | २८१२ | ४ | ० | ० | ० | ० | ८१२ | २००० | २८१२ | ४ |
| ४ | टिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे | ० | २७९३३ | २७९३३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २७९३३ | २७९३३ | ० | ० |
| ५ | पीक संरक्षण | १२१८ | १४० | १३५८ | ६ | २०३० | १४० | २१७० | १० | २०३० | १४० | २१७० | १० | ५२७८ | ४२० | ५६९८ | २६ |
| | एकूण | १०३५३ | ३८०७३ | ४८४२६ | ५१ | २८४२ | २१४० | ४९८२ | १४ | २०३० | १४० | २१७० | १० | १५२२५ | ४०३५३ | ५५५७८ | ७५ |

तक्ता - ४ : पेरु कलमे (सघन लागवड)

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९

कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - १६६६ (अंतर - ३ X २ मी.)

(मजूरी, सामुग्री व एकूण 'रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन 'संख्येमध्ये')

| अ क्र | बाब | वर्ष पहिले | | | | वर्ष दुसरे | | | | वर्ष तिसरे | | | | एकूण | | | |
|-------|---|------------|----------|--------|------------|------------|----------|-------|------------|------------|----------|------|------------|-------|----------|--------|------------|
| | | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन |
| १ | खड्डे खोदणे, ०.३x०.३x०.३ मी. आकार एकूण खड्डे १६६६ | २४३६० | ० | २४३६० | १२० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २४३६० | ० | २४३६० | १२० |
| २ | कलमे लागवड करणे, किंमत रु. ५० प्रति कलम, संख्या- १६६६ | १२१८० | ८३३०० | ९५४८० | ६० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १२१८० | ८३३०० | ९५४८० | ६० |
| ३ | नांग्या भरणे | ० | ० | ० | ० | १६२४ | १६६५० | १८२७४ | ८ | ० | ० | ० | ० | १६२४ | १६६५० | १८२७४ | ८ |
| ४ | ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे | ० | ५७५८६ | ५७५८६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ५७५८६ | ५७५८६ | ० |
| ५ | पीक संरक्षण | २०३० | १०० | २१३० | १० | २०३० | १०० | २१३० | १० | २०३० | १०० | २१३० | १० | ६०९० | ३०० | ६३९० | ३० |
| | एकूण | ३८५७० | १४०९८६ | १७९५५६ | १९० | ३६५४ | १६७५० | २०४०४ | १८ | २०३० | १०० | २१३० | १० | ४४२५४ | १५७८३६ | २०२०९० | २१८ |

तक्ता - ५ : पेरु कलमे

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९

कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - २७७ (अंतर - ६ X ६ मी.)

(मजूरी, सामुग्री व एकूण 'रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन 'संख्येमध्ये')

| अ क्र | बाब | वर्ष पहिले | | | | वर्ष दुसरे | | | | वर्ष तिसरे | | | | एकूण | | | |
|----------|--|------------|----------|-------|---------------|------------|----------|------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|----------|-------|---------------|
| | | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन |
| १ | खड्डे खोदणे, ०.६ x ०.६x०.६ मी. आकार एकूण खड्डे २७७ | ६९०२ | ० | ६९०२ | ३४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ६९०२ | ० | ६९०२ | ३४ |
| २ | कलमे लागवड करणे, किंमत रु. ५० प्रति कलम, संख्या- २७७ | ४०६० | १३८५० | १७९१० | २० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४०६० | १३८५० | १७९१० | २० |
| ३ | नांग्या भरणे | ० | ० | ० | ० | ८१२ | २७५० | ३५६२ | ४ | ० | ० | ० | ० | ८१२ | २७५० | ३५६२ | ४ |
| ४ | टिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे | ० | ३०५३४ | ३०५३४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३०५३४ | ३०५३४ | ० |
| ५ | पीक संरक्षण | १०१५ | १०० | १११५ | ५ | १०१५ | १०० | १११५ | ५ | १०१५ | १०० | १११५ | ५ | ३०४५ | ३०० | ३३४५ | १५ |
| | एकूण | ११९७७ | ४४४८४ | ५६४६१ | ५९ | १८२७ | २८५० | ४६७७ | ९ | १०१५ | १०० | १११५ | ५ | १४८१९ | ४७४३४ | ६२२५३ | ७३ |

तक्ता - ६ : डाळिंब कलमे

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९

कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - ७४० (अंतर - ४.५ X ३ मी.)

(मजूरी, सामुग्री व एकूण 'रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन 'संख्येमध्ये')

| अ क्र | बाब | वर्ष पहिले | | | | वर्ष दुसरे | | | | वर्ष तिसरे | | | | एकूण | | | |
|-------|--|------------|----------|-------|------------|------------|----------|-------|------------|------------|----------|------|------------|-------|----------|--------|------------|
| | | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन |
| १ | खड्डे खोदणे, ०.३x०.३x०.३ मी. आकार एकूण खड्डे ७४० | १८६७६ | ० | १८६७६ | ९२ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १८६७६ | ० | १८६७६ | ९२ |
| २ | कलमे लागवड करणे, किंमत रु. ३५ प्रति कलम, संख्या- ७४० | ७३०८ | २५९०० | ३३२०८ | ३६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ७३०८ | २५९०० | ३३२०८ | ३६ |
| ३ | नांग्या भरणे | ० | ० | ० | ० | १६२४ | ५१८० | ६८०४ | ८ | ० | ० | ० | ० | १६२४ | ५१८० | ६८०४ | ८ |
| ४ | ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे | ० | ३८८२४ | ३८८२४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३८८२४ | ३८८२४ | ० |
| ५ | पीक संरक्षण | २०३० | २७५ | २३०५ | १० | ४०६० | ७७५ | ४८३५ | २० | ४०६० | ७७५ | ४८३५ | २० | १०१५० | १८२५ | ११९७५ | ५० |
| | एकूण | २८०१४ | ६४९९९ | ९३०१३ | १३८ | ५६८४ | ५९५५ | ११६३९ | २८ | ४०६० | ७७५ | ४८३५ | २० | ३७७५८ | ७१७२९ | १०९४८७ | १८६ |

तक्ता - ७ : संत्रा / मोसंबी / कागदी लिंबू कलमे-

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९

कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - २७७ (अंतर - ६ X ६ मी.)

(मजूरी, सामुग्री व एकूण 'रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन 'संख्येमध्ये')

| अ क्र | बाब | वर्ष पहिले | | | | वर्ष दुसरे | | | | वर्ष तिसरे | | | | एकूण | | | |
|-------|--|------------|----------|-------|------------|------------|----------|------|------------|------------|----------|------|------------|-------|----------|-------|------------|
| | | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन |
| १ | खड्डे खोदणे, ०.६x ०.६x०.६ मी. आकार एकूण खड्डे २७७ | ६९०२ | ० | ६९०२ | ३४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ६९०२ | ० | ६९०२ | ३४ |
| २ | कलमे लागवड करणे, किंमत रु. ४० प्रति कलम, संख्या- २७७ | ४०६० | ११०८० | १५१४० | २० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४०६० | ११०८० | १५१४० | २० |
| ३ | नांग्या भरणे | ० | ० | ० | ० | ८१२ | २२०० | ३०१२ | ४ | ० | ० | ० | ० | ८१२ | २२०० | ३०१२ | ४ |
| ४ | ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे | ० | ३०५३४ | ३०५३४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३०५३४ | ३०५३४ | ० |
| ५ | पीक संरक्षण | २०३० | ३०० | २३३० | १० | २०३० | ३०० | २३३० | १० | २०३० | ३०० | २३३० | १० | ६०९० | ९०० | ६९९० | ३० |
| एकूण | | १२९९२ | ४१९१४ | ५४९०६ | ६४ | २८४२ | २५०० | ५३४२ | १४ | २०३० | ३०० | २३३० | १० | १७८६४ | ४४७१४ | ६२५७८ | ८८ |

तक्ता - ८ : संत्रा कलमे (इंडो-इस्त्राईल पद्धत)

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९

कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - ५५५ (अंतर - ६ X ३ मी.)

(मजूरी, सामुग्री व एकूण 'रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन 'संख्येमध्ये')

| अ क्र | बाब | वर्ष पहिले | | | | वर्ष दुसरे | | | | वर्ष तिसरे | | | | एकूण | | | |
|-------|---|------------|----------|-------|------------|------------|----------|-------|------------|------------|----------|------|------------|-------|----------|-------|------------|
| | | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन |
| १ | गादी वाफे तयार करणे - १.२१ चौ.मी. X १५५२ मी = १८७८.०४ घ.मी. | ८५२६ | ० | ८५२६ | ४२ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ८५२६ | ० | ८५२६ | ४२ |
| २ | कलमे लागवड करणे, किंमत रु. ५० प्रति कलम, संख्या- ५५५ | ८१२० | २७७५० | ३५८७० | ४० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ८१२० | २७७५० | ३५८७० | ४० |
| ३ | नांग्या भरणे | ० | ० | ० | ० | १६२४ | ५५५० | ७१७४ | ८ | ० | ० | ० | ० | १६२४ | ५५५० | ७१७४ | ८ |
| ४ | ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे | ० | ३६२८४ | ३६२८४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३६२८४ | ३६२८४ | ० | ० |
| ५ | पीक संरक्षण | २८४२ | ३०० | ३१४२ | १४ | ४०६० | ३०० | ४३६० | २० | ४०६० | ३०० | ४३६० | २० | १०९६२ | ९०० | ११८६२ | ५४ |
| एकूण | | १९४८८ | ६४३३४ | ८३८२२ | ९६ | ५६८४ | ५८५० | ११५३४ | २८ | ४०६० | ३०० | ४३६० | २० | २९२३२ | ७०४८४ | ९९७१६ | १४४ |

तक्ता - ९ : नारळ रोपे बाणावली

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९

रोपे संख्या प्रति हेक्टरी - १५० (अंतर - ८ X ८ मी.)

(मजूरी, सामुग्री व एकूण 'रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन 'संख्येमध्ये')

| अ क्र | बाब | वर्ष पहिले | | | | वर्ष दुसरे | | | | वर्ष तिसरे | | | | एकूण | | | |
|-------|--|------------|----------|-------|------------|------------|----------|------|------------|------------|----------|------|------------|-------|----------|-------|------------|
| | | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन |
| १ | खड्डे खोदणे, १ x १ x १ मी. आकार एकूण खड्डे १५० | १३३९८ | ० | १३३९८ | ६६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १३३९८ | ० | १३३९८ | ६६ |
| २ | कलमे लागवड करणे, किंमत रु. ७० प्रति रोप संख्या १५० | ४०६० | १०५०० | १४५६० | २० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४०६० | १०५०० | १४५६० | २० |
| ३ | नांग्या भरणे | ० | ० | ० | ० | ८१२ | २१०० | २९१२ | ४ | ० | ० | ० | ० | ८१२ | २१०० | २९१२ | ४ |
| ४ | टिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे | ० | २५३३२ | २५३३२ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २५३३२ | २५३३२ | ० |
| ५ | पीक संरक्षण | १०१५ | १२५ | ११४० | ५ | १०१५ | १२५ | ११४० | ५ | १०१५ | १२५ | ११४० | ५ | ३०४५ | ३७५ | ३४२० | १५ |
| एकूण | | १८४७३ | ३५९५७ | ५४४३० | ९१ | १८२७ | २२२५ | ४०५२ | ९ | १०१५ | १२५ | ११४० | ५ | २१३१५ | ३८३०७ | ५९६२२ | १०५ |

तक्ता - १० : नारळ रोपे टी.डी.

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९

रोपे संख्या प्रति हेक्टरी - १५० (अंतर - ८ X ८ मी.)

(मजूरी, सामुग्री व एकूण 'रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन 'संख्येमध्ये')

| अ क्र | बाब | वर्ष पहिले | | | | वर्ष दुसरे | | | | वर्ष तिसरे | | | | एकूण | | | |
|-------|--|------------|----------|-------|------------|------------|----------|------|------------|------------|----------|------|------------|-------|----------|-------|------------|
| | | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन |
| १ | खड्डे खोदणे, १ x १ x १ मी. आकार एकूण खड्डे १५० | १३३९८ | ० | १३३९८ | ६६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १३३९८ | ० | १३३९८ | ६६ |
| २ | कलमे लागवड करणे, किंमत रु. १०० प्रति रोप, संख्या १५० | ४०६० | १५००० | १९०६० | २० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४०६० | १५००० | १९०६० | २० |
| ३ | नांग्या भरणे | ० | ० | ० | ० | ८१२ | ३००० | ३८१२ | ४ | ० | ० | ० | ० | ८१२ | ३००० | ३८१२ | ४ |
| ४ | ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे | ० | २५३३२ | २५३३२ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २५३३२ | २५३३२ | ० |
| ५ | पीक संरक्षण | १०१५ | १२५ | ११४० | ५ | १०१५ | १२५ | ११४० | ५ | १०१५ | १२५ | ११४० | ५ | ३०४५ | ३७५ | ३४२० | १५ |
| | एकूण | १८४७३ | ४०४५७ | ५८९३० | ९१ | १८२७ | ३१२५ | ४९५२ | ९ | १०१५ | १२५ | ११४० | ५ | २१३१५ | ४३७०७ | ६५०२२ | १०५ |

तक्ता - ११ : सिताफळ कलमे

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९

कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - ४०० (अंतर - ५X ५ मी.)

(मजूरी, सामुग्री व एकूण 'रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन 'संख्येमध्ये')

| अ क्र | बाब | वर्ष पहिले | | | | वर्ष दुसरे | | | | वर्ष तिसरे | | | | एकूण | | | |
|-------|--|------------|----------|-------|------------|------------|----------|------|------------|------------|----------|------|------------|-------|----------|-------|------------|
| | | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन |
| १ | खड्डे खोदणे, ०.६ x ०.६ x ०.६ मी. आकार एकूण खड्डे ४०० | १०१५० | ० | १०१५० | ५० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १०१५० | ० | १०१५० | ५० |
| २ | कलमे लागवड करणे, किंमत रु. ४० प्रति कलम, संख्या- ४०० | ४०६० | १६००० | २००६० | २० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४०६० | १६००० | २००६० | २० |
| ३ | नांग्या भरणे | ० | ० | ० | ० | ८१२ | ३२०० | ४०१२ | ४ | ० | ० | ० | ० | ८१२ | ३२०० | ४०१२ | ४ |
| ४ | टिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे | ० | ३४६६४ | ३४६६४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३४६६४ | ३४६६४ | ० | ० |
| ५ | पीक संरक्षण | १०१५ | २०० | १२१५ | ५ | १०१५ | २०० | १२१५ | ५ | १०१५ | २०० | १२१५ | ५ | ३०४५ | ६०० | ३६४५ | १५ |
| | एकूण | १५२२५ | ५०८६४ | ६६०८९ | ७५ | १८२७ | ३४०० | ५२२७ | ९ | १०१५ | २०० | १२१५ | ५ | १८०६७ | ५४४६४ | ७२५३१ | ८९ |

तक्ता - १२ - आवळा कलमे

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९

कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - २०० (अंतर - ७ X ७ मी.)

(मजूरी, सामुग्री व एकूण 'रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन 'संख्येमध्ये')

| अ क्र | बाब | वर्ष पहिले | | | | वर्ष दुसरे | | | | वर्ष तिसरे | | | | एकूण | | | |
|----------|--|------------|----------|-------|---------------|------------|----------|------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|----------|-------|---------------|
| | | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन |
| १ | खड्डे खोदणे, ०.६x०.६x०.६ मी. आकार एकूण खड्डे २०० | ५०७५ | ० | ५०७५ | २५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ५०७५ | ० | ५०७५ | २५ |
| २ | कलमे लागवड करणे, किंमत रु. ४० प्रति कलम, संख्या- २०० | ४०६० | ८००० | १२०६० | २० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४०६० | ८००० | १२०६० | २० |
| ३ | नांग्या भरणे | ० | ० | ० | ० | ८१२ | १६०० | २४१२ | ४ | ० | ० | ० | ० | ८१२ | १६०० | २४१२ | ४ |
| ४ | ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे | ० | २७९३३ | २७९३३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २७९३३ | २७९३३ | ० |
| ५ | पीक संरक्षण | ६०९ | ७५ | ६८४ | ३ | ६०९ | ७५ | ६८४ | ३ | ८१२ | ७५ | ८८७ | ४ | २०३० | २२५ | २२५५ | १० |
| एकूण | | ९७४४ | ३६००८ | ४५७५२ | ४८ | १४२१ | १६७५ | ३०९६ | ७ | ८१२ | ७५ | ८८७ | ४ | ११९७७ | ३७७५८ | ४९७३५ | ५९ |

तक्ता - १३ : चिंच कलमे

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९

कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - १०० (अंतर - १० X १० मी.)

(मजूरी, सामुग्री व एकूण 'रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन 'संख्येमध्ये')

| अ क्र | बाब | वर्ष पहिले | | | | वर्ष दुसरे | | | | वर्ष तिसरे | | | | एकूण | | | |
|-------|--|------------|----------|-------|------------|------------|----------|------|------------|------------|----------|------|------------|-------|----------|-------|------------|
| | | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन |
| १ | खड्डे खोदणे, १ x १ x १ मी. आकार एकूण खड्डे १०० | ९९४७ | ० | ९९४७ | ४९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ९९४७ | ० | ९९४७ | ४९ |
| २ | कलमे लागवड करणे, किंमत रु. ६० प्रति कलम, संख्या-१०० | ४०६० | ६००० | १००६० | २० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४०६० | ६००० | १००६० | २० |
| ३ | नांग्या भरणे | ० | ० | ० | ० | ८१२ | १२०० | २०१२ | ४ | ० | ० | ० | ० | ८१२ | १२०० | २०१२ | ४ |
| ४ | ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे | ० | २३०४७ | २३०४७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २३०४७ | २३०४७ | ० |
| ५ | पीक संरक्षण | ४०६ | ७५ | ४८१ | २ | ८१२ | ७५ | ८८७ | ४ | ८१२ | ७५ | ८८७ | ४ | २०३० | २२५ | २२५५ | १० |
| एकूण | | १४४१३ | २९१२२ | ४३५३५ | ७१ | १६२४ | १२७५ | २८९९ | ८ | ८१२ | ७५ | ८८७ | ४ | १६८४९ | ३०४७२ | ४७३२१ | ८३ |

तक्ता - १४ : जांभूळ कलमे

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९

कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - १०० (अंतर - १० X १० मी.)

(मजूरी, सामुग्री व एकूण 'रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन 'संख्येमध्ये')

| अ क्र | बाब | वर्ष पहिले | | | | वर्ष दुसरे | | | | वर्ष तिसरे | | | | एकूण | | | |
|-------|--|------------|----------|-------|------------|------------|----------|------|------------|------------|----------|------|------------|-------|----------|-------|------------|
| | | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन |
| १ | खड्डे खोदणे, १ x १ x १ मी. आकार एकूण खड्डे १०० | ९९४७ | ० | ९९४७ | ४९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ९९४७ | ० | ९९४७ | ४९ |
| २ | कलमे लागवड करणे, किंमत रु. ६० प्रति कलम, संख्या-१०० | ४०६० | ६००० | १००६० | २० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४०६० | ६००० | १००६० | २० |
| ३ | नांग्या भरणे | ० | ० | ० | ० | ८१२ | १२०० | २०१२ | ४ | ० | ० | ० | ० | ८१२ | १२०० | २०१२ | ४ |
| ४ | टिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे | ० | २३०४७ | २३०४७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २३०४७ | २३०४७ | ० |
| ५ | पीक संरक्षण | ४०६ | ७५ | ४८१ | २ | ८१२ | ७५ | ८८७ | ४ | ८१२ | ७५ | ८८७ | ४ | २०३० | २२५ | २२५५ | १० |
| एकूण | | १४४१३ | २९१२२ | ४३५३५ | ७१ | १६२४ | १२७५ | २८९९ | ८ | ८१२ | ७५ | ८८७ | ४ | १६८४९ | ३०४७२ | ४७३२१ | ८३ |

तक्ता - १५ : कोकम कलमे

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९

कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - २०० (अंतर - ७ X ७ मी.)

(मजूरी, सामुग्री व एकूण 'रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन 'संख्येमध्ये')

| अ क्र | बाब | वर्ष पहिले | | | | वर्ष दुसरे | | | | वर्ष तिसरे | | | | एकूण | | | |
|-------|--|------------|----------|-------|------------|------------|----------|------|------------|------------|----------|------|------------|-------|----------|-------|------------|
| | | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन |
| १ | खड्डे खोदणे, ०.६ x ०.६ x ०.६ मी. आकार एकूण खड्डे २०० | ५०७५ | ० | ५०७५ | २५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ५०७५ | ० | ५०७५ | २५ |
| २ | कलमे लागवड करणे, किंमत रु. ३० प्रति कलम, संख्या- २०० | ४०६० | ६००० | १००६० | २० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४०६० | ६००० | १००६० | २० |
| ३ | नांग्या भरणे | ० | ० | ० | ० | ८१२ | १२०० | २०१२ | ४ | ० | ० | ० | ० | ८१२ | १२०० | २०१२ | ४ |
| ४ | टिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे | ० | २७९३३ | २७९३३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २७९३३ | २७९३३ | ० |
| ५ | पीक संरक्षण | ६०९ | ५० | ६५९ | ३ | ६०९ | ५० | ६५९ | ३ | ८१२ | ५० | ८६२ | ४ | २०३० | १५० | २१८० | १० |
| एकूण | | ९७४४ | ३३९८३ | ४३७२७ | ४८ | १४२१ | १२५० | २६७१ | ७ | ८१२ | ५० | ८६२ | ४ | ११९७७ | ३५२८३ | ४७२६० | ५९ |

तक्ता - १६ : फणस कलमे

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९

कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - १०० (अंतर - १० X १० मी.)

(मजूरी, सामुग्री व एकूण 'रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन 'संख्येमध्ये')

| अ क्र | बाब | वर्ष पहिले | | | | वर्ष दुसरे | | | | वर्ष तिसरे | | | | एकूण | | | |
|-------|--|------------|----------|-------|------------|------------|----------|------|------------|------------|----------|------|------------|-------|----------|-------|------------|
| | | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन |
| १ | खड्डे खोदणे, १ x १ x १ मी. आकार एकूण खड्डे १०० | ९९४७ | ० | ९९४७ | ४९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ९९४७ | ० | ९९४७ | ४९ |
| २ | कलमे लागवड करणे, किंमत रु. ३० प्रति कलम, संख्या-१०० | ४०६० | ३००० | ७०६० | २० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४०६० | ३००० | ७०६० | २० |
| ३ | नांग्या भरणे | ० | ० | ० | ० | ८१२ | ६०० | १४१२ | ४ | ० | ० | ० | ० | ८१२ | ६०० | १४१२ | ४ |
| ४ | टिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे | ० | २३०४७ | २३०४७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २३०४७ | २३०४७ | ० | ० |
| ५ | पीक संरक्षण | ० | ० | ० | ० | १०१५ | ५० | १०६५ | ५ | १०१५ | ५० | १०६५ | ५ | २०३० | १०० | २१३० | १० |
| एकूण | | १४००७ | २६०४७ | ४००५४ | ६९ | १८२७ | ६५० | २४७७ | ९ | १०१५ | ५० | १०६५ | ५ | १६८४९ | २६७४७ | ४३५९६ | ८३ |

तक्ता - १७ : अंजीर कलमे

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९

कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - ७४० (अंतर - ४.५ X ३.० मी.)

(मजूरी, सामुग्री व एकूण 'रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन 'संख्येमध्ये')

| अ क्र | बाब | वर्ष पहिले | | | | वर्ष दुसरे | | | | वर्ष तिसरे | | | | एकूण | | | |
|-------|--|------------|----------|-------|------------|------------|----------|------|------------|------------|----------|------|------------|-------|----------|-------|------------|
| | | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन |
| १ | खड्डे खोदणे, ०.६x ०.६x ०.६ मी. आकार एकूण खड्डे ७४० | १४२१० | ० | १४२१० | ७० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १४२१० | ० | १४२१० | ७० |
| २ | कलमे लागवड करणे, किंमत रु. ३५ प्रति कलम, संख्या- ७४० | ६०९० | २५९०० | ३१९९० | ३० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ६०९० | २५९०० | ३१९९० | ३० |
| ३ | नांग्या भरणे | ० | ० | ० | ० | ८१२ | ५१८० | ५९९२ | ४ | ० | ० | ० | ० | ८१२ | ५१८० | ५९९२ | ४ |
| ४ | टिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे | ० | ३८८२४ | ३८८२४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३८८२४ | ३८८२४ | ० |
| ५ | पीक संरक्षण | २०३० | १०० | २१३० | १० | २०३० | १०० | २१३० | १० | २०३० | १०० | २१३० | १० | ६०९० | ३०० | ६३९० | ३० |
| एकूण | | २२३३० | ६४८२४ | ८७१५४ | ११० | २८४२ | ५२८० | ८१२२ | १४ | २०३० | १०० | २१३० | १० | २७२०२ | ७०२०४ | ९७४०६ | १३४ |

तक्ता - १८ : चिकू कलमे

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९

कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - १०० (अंतर - १० X १० मी.)

(मजूरी, सामुग्री व एकूण 'रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन 'संख्येमध्ये')

| अ क्र | बाब | वर्ष पहिले | | | | वर्ष दुसरे | | | | वर्ष तिसरे | | | | एकूण | | | |
|-------|--|------------|----------|-------|------------|------------|----------|------|------------|------------|----------|------|------------|-------|----------|-------|------------|
| | | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन | मजूरी | सामुग्री | एकूण | श्रमिक दिन |
| १ | खड्डे खोदणे, १ x १ x १ मी. आकार एकूण खड्डे १०० | ९९४७ | ० | ९९४७ | ४९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ९९४७ | ० | ९९४७ | ४९ |
| २ | कलमे लागवड करणे, किंमत रु. ७० प्रति कलम, संख्या- १०० | ४०६० | ७००० | ११०६० | २० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४०६० | ७००० | ११०६० | २० |
| ३ | नांग्या भरणे | ० | ० | ० | ० | ८१२ | १४०० | २२१२ | ४ | ० | ० | ० | ० | ८१२ | १४०० | २२१२ | ४ |
| ४ | टिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे | ० | २३०४७ | २३०४७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २३०४७ | २३०४७ | ० |
| ५ | पीक संरक्षण | १०१५ | २४० | १२५५ | ५ | २०३० | २४० | २२७० | १० | २०३० | २४० | २२७० | १० | ५०७५ | ७२० | ५७९५ | २५ |
| एकूण | | १५०२२ | ३०२८७ | ४५३०९ | ७४ | २८४२ | १६४० | ४४८२ | १४ | २०३० | २४० | २२७० | १० | १९८९४ | ३२१६७ | ५२०६१ | ९८ |